राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 18(5)त.शि./2004 जयपुर, दिनांक : 13 अप्रेल, 2016

—:: कार्यवाही विवरण ::—

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, जयपुर की अध्यक्षता में निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की फीस निर्धारण के संबंध में आज दिनांक 13.04.2016 को 1.00 बजे तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर में बैठक सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
2. श्री रामवतार शर्मा, सदस्य, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय न्यायालय।
3. श्री एस.एल. धाकड, चार्टेड अकाउंटेन्ट, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
5. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा।
6. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।

उक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :—

1. निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की सत्र 2016—17 की फीस निर्धारण हेतु वर्ष 2014—15 का ऑडिटेड रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने बाबत।
2. फीस निर्धारण समिति कार्यालय हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था किये जाने बाबत।
3. फीस निर्धारण समिति कार्यालय में संस्थानों से प्राप्त लेखों की जॉच हेतु लेखाकार को नियुक्त किये जाने बाबत।
4. फीस निर्धारण समिति कार्यालय में स्थित फर्नीचर को रिपेयर कराने बाबत।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :—

1. बिन्दु संख्या—1 के संबंध में सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को वर्ष 2014—15 का ऑडिटेड रिकॉर्ड एवं वर्ष 2016—17, 2017—18 एवं 2018—19 की फीस निर्धारण (Proposed Fees Structure for the year 2016-17, 2017-18 & 2018-19) हेतु प्रस्तावित फीस के प्रस्ताव दिनांक 05.05.2016 तक प्राप्त किये जाने हेतु पत्र भिजवाया जाना है।
2. शेष बिन्दु 2, 3 एवं 4 के संबंध में निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर द्वारा उचित व्यवस्था की जायेगी।

आज्ञा से,

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, तकनीकी शिक्षा भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 18(5)त.शि. / 2004 जयपुर, दिनांक : 13 अप्रेल, 2016

समस्त निजी तकनीकी शिक्षण संस्थान,
राजस्थान।

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2016–17 हेतु फीस निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके द्वारा सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की Proposed Fees Structure तथा 2014–15 के अंकेक्षित लेखे (ऑडिटेड) अभी तक राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति को प्राप्त नहीं हुये है।

अतः निर्देशानुसारं लेख है कि उपरोक्त सत्रों की फीस निर्धारण हेतु वर्ष 2014–15 के अंकेक्षित लेखे तथा 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की Proposed Fees Structure राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति के कार्यालय में पूर्व निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 05.05.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव, त.शि.